फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

राजेश — **बनाम** — **सोहनीदेवी वगैरह**

किस्म प्रकरण : प्रा. पत्र — मुकदमा नं. 207 / 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
06.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित ।प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट के तहत वर्ष 2020 से तलबी हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पूर्व में वकील प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये थे साथ ही वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को गत तारीख पेशी पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये एक अन्तिम अवसर ओर हिदायत के साथ तलबी हेतु दिया गया था। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना में तलबी सम्मन पेश नहीं किये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 बावजूद हिदायत न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश 9 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Scanned with OKEN Scanner